

पत्र संख्या-रा0प0-01/2025.....135...../रा0

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)

प्रेषक,

अखिलेश कुमार सिंह, (मा0प्र0से0)
निदेशक।

सेवा में,

✓ निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 04-03-25

विषय:-


दिनांक-27.04.2025 (रविवार) को आयोजित राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन से संबंधित सामग्री संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बिहार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर बड़े-बड़े साफ अक्षरों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0 : विज्ञापन की प्रति।

विश्वासभाजन


(अखिलेश कुमार सिंह)
निदेशक
क०/०५

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)
विज्ञापन

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा से सम्बद्ध सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं।

2- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा), बिहार, पटना द्वारा राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन दिनांक 27.04.2025 (रविवार) को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक किया जाएगा।

3- राजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा के परीक्षा केन्द्र सचिवालय तथा सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में रहेंगे। अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा के परीक्षा केन्द्र प्रमंडलों में तथा जिन जिलों में प्रमण्डलीय मुख्यालय नहीं है, वहाँ जिला मुख्यालयों में रहेंगे।

4- सचिवालय से संलग्न कार्यालयों के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उक्त परीक्षाओं का संचालन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा किया जाएगा।

5- पटना, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, सहरसा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रमंडलों में राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का संचालन आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा द्वारा किया जाएगा। जिन जिलों में प्रमंडलीय राजभाषा मुख्यालय नहीं है, वहाँ अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का संचालन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6- परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी यथास्थिति सचिवालय अथवा संबद्ध प्रमंडलीय/जिला मुख्यालयों में दिनांक 21.03.2025 तक आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) उचित माध्यम/अग्रसारण पत्र के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र तथा प्रवेश-पत्र पर अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की एक-एक फोटो, जो संबद्ध कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित हो, निश्चित रूप से चिपकाएँगे।

7- आवेदन-पत्र प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि 21.03.2025 के पश्चात् किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

8- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी का आवेदन पत्र सम्बद्ध विभाग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 21.03.2025 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

9- प्रमंडलीय एवं जिला मुख्यालयों से प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तर पुस्तिकाओं की मांग अंतिम रूप से दिनांक 27.03.2025 तक सभी आवेदकों की सूची की विवरणी सॉफ्ट कॉपी Microsoft excel में भरकर विभागीय ईमेल-rajbhashadeptt@gmail.com पर अवश्य कर दी जाय।

10- सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा यथासंसूचित संख्या में सादी उत्तर पुस्तिकाएँ एवं मुहरबंद पैकेट में प्रश्नपत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.04.2025 एवं 25.04.2025 को कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय के एक ऐसे विश्वस्त कर्मचारी को प्राधिकार पत्र के साथ, जिसमें उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित हो, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा), हिन्दी भवन, छज्जुबाग, पटना के पते पर भेजेंगे। प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर प्रथम उपलब्ध सवारी से वापस जाकर सक्षम पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, जिनकी अभिरक्षा में प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तर पुस्तिकाएं रखी जाएंगी।

11- गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के पत्रांक-8358, दिनांक-26.07.2024 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग) के पत्रांक-277, दिनांक-12.07.24 एवं पत्रांक-276, दिनांक-12.07.24 के आलोक में सिपाही संवर्ग के कर्मियों का हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा के आवेदक का आवेदन पत्र को स्वीकार करेंगे।

12- परीक्षार्थी, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अपना नाम, पदनाम देवनागरी लिपि में एवं अनुक्रमांक (रौल नं0) को अंग्रेजी के अंकों (1, 2, 3.....) एवं देवनागरी लिपि में भी लिखें।

नोट:- परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व पहुँचना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र में मोबाइल, कॉपी, किताब एवं अन्य किसी प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग वर्जित है।

अनुलग्नक :- आवेदन पत्र का प्रपत्र

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा/हिन्दी पढ़ने-लिखने की योग्यता परीक्षा

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पदनाम
3. राजपत्रित/अराजपत्रित
4. विभाग/कार्यालय का नाम
- जिला-..... प्रमंडल-.....
5. शैक्षिक योग्यता
6. क्या आप पूर्व आयोजित किसी परीक्षा में असफल हुए हैं?.....
7. यदि हाँ, तो क्या प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं?.....
8. आवेदन करने की तिथि
9. अग्रसारण पदाधिकारी का तिथि सहित हस्ताक्षर एवं मुहर

कार्यालय प्रधान द्वारा
अभिप्रमाणित पासपोर्ट
साइज का फोटो यहां
चिपकाए।

आवेदक का हस्ताक्षर

10. आवेदक के हस्ताक्षर का नमूना
11. अभिप्रमाणित करनेवाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रवेश-पत्र
(आवेदक स्वयं भरें)

12. आवेदक का नाम
13. पदनाम
14. विभाग/कार्यालय का नाम
15. आवेदक का हस्ताक्षर
16. फोटो अभिप्रमाणित करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं मुहर

कार्यालय प्रधान द्वारा
अभिप्रमाणित पासपोर्ट
साइज का फोटो यहां
चिपकाए।

परीक्षा कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

1. परीक्षा की तिथि
2. परीक्षा का समय
3. परीक्षा केन्द्र का नाम अनुक्रमांक (रौल नंबर).....

जिलाधिकारी/निदेशक, राजभाषा
प्रमंडलीय उप-निदेशक, राजभाषा

- नोट-**
- (1) कंडिका 6 की सत्यता की जांच कर ही अग्रसारण पदाधिकारी आवेदन-पत्र अग्रसारित करें।
 - (2) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21.03.2025 है।
 - (3) आवेदन पत्र उचित माध्यम/अग्रसारण पत्र के माध्यम से ही प्रस्तुत करें।
 - (4) अनुक्रमांक (रौल नंबर) को अंग्रेजी के अंकों (1,2,3.....) में तथा देवनागरी लिपि में भी अंकित करें।
 - (5) परीक्षा केन्द्र में मोबाइल, कॉपी, किताब एवं अन्य किसी प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग वर्जित है। इन सामग्रियों के पाये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी को तत्काल परीक्षा से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(राजभाषा)

प्रेषक,

अखिलेश कुमार सिंह,(भा0प्र0से0)
निदेशक।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा/सभी जिला पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्य पुरी, दिल्ली।

पटना, दिनांक-04-03-2025

विषय :- राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन दिनांक-27.04.2025 (रविवार) को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक किया जाएगा।

2. राजपत्रित तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन सचिवालय तथा सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों में और अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का आयोजन सचिवालय एवं सम्बद्ध प्रमण्डलों तथा जिन जिलों में प्रमण्डलीय मुख्यालय नहीं है, वहां जिला मुख्यालयों में किया जाएगा।

3. सचिवालय से संलग्न कार्यालयों के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का संचालन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा किया जाएगा।


4. पटना, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, सहरसा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रमण्डलों में राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का संचालन आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा द्वारा किया जाएगा।

जिन जिलों में प्रमण्डलीय राजभाषा मुख्यालय नहीं है, वहाँ अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का संचालन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी यथास्थिति सचिवालय अथवा सम्बद्ध प्रमण्डलीय/जिला मुख्यालयों में दिनांक-21.03.2025 तक आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) उचित माध्यम/अग्रसारण पत्र के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र तथा प्रवेश-पत्र पर अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की एक-एक फोटो, जो सम्बद्ध कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित हो, निश्चित रूप से चिपकाएंगे।

6. आवेदन पत्र प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि 21.03.2025 के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी का आवेदन पत्र सम्बद्ध विभाग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा), हिन्दी भवन, छज्जुबाग, पटना के पते पर दिनांक-21.03.2025 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
8. सम्बद्ध जिला पदाधिकारी/ आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उपनिदेशक, राजभाषा द्वारा सभी आवेदन पत्रों की भली-भाँति जाँच-पड़ताल के बाद ही प्रवेश-पत्र निर्गत किया जाएगा।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा/हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत आदेश-निदेश के आलोक में वैसे सरकारी सेवक, जिन्हें उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
10. प्रमण्डलीय एवं जिला मुख्यालयों से प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तरपुस्तिकाओं की मांग अंतिम रूप से दिनांक-27.03.2025 तक सभी आवेदकों की सूची (संलग्न विहित प्रपत्र में) सॉफ्ट कॉपी Microsoft excel में भरकर विभागीय ईमेल- rajbhashadeptt@gmail.com पर अवश्य कर दी जाय।
11. सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा यथासं सूचित संख्या में सादी उत्तरपुस्तिकाएँ एवं मुहरबंद पैकेट में प्रश्नपत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक-24.04.2025 एवं 25.04.2025 को कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय के एक ऐसे विश्वस्त कर्मचारी को प्राधिकार पत्र के साथ, जिसमें उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित हो, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा), हिन्दी भवन, छज्जुबाग, पटना के पते पर भेजेंगे। प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर प्रथम उपलब्ध सवारी से वापस जाकर सक्षम पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, जिनकी अभिरक्षा में प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तरपुस्तिकाएँ रखी जाएंगी।
12. पत्र संख्या-59/रा0, दिनांक-18.01.1999 के अधीन परीक्षा/परीक्षाओं के संचालन सम्बन्धी दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
13. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के पत्रांक-8358, दिनांक-26.07.2024 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग) के पत्रांक-277, दिनांक-12.07.24 एवं पत्रांक-276, दिनांक-12.07.24 के आलोक में सिपाही संवर्ग के कर्मियों का हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा के आवेदक के आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे।
14. उपर्युक्त कार्यक्रम की सूचना कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को शीघ्र संसूचित करने की व्यवस्था की जाय।
- अनुलग्नक:- आवेदकों की विवरणी से संबंधित प्रपत्र।

विश्वासभाजन


(अखिलेश कुमार सिंह)
निदेशक

